न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, जिला उदयपुर
प्रकरण संख्या 175/2022 वाद
अनवान कुबेर सिंह बनाम गेंदकुंवर
अन्तिम डिक्री. निर्णय 53, 188 RTA

2022/377

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा, जिला–उदयपुर
पीठासीन अधिकारी अवुला सांई कृष्ण, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 175/2022 वाद GCMS No. 2022/377

श्री कुबेर सिंह पिता रोड सिंह जी राजपुत, उम्र–85 वर्ष, निवासी– बम्बोरा, तहसील कुराबड़, जिला उदयपुर

वादी

बनाम

1. श्रीमती गेन्दकुंवर पत्नि फतह सिंह जी राजपुत, उम्र– वयस्क, निवासी– बम्बोरा, तहसील कुराबड़, जिला उदयपुर **(नाम तर्क किया गया)**
2. श्रीमती गोविन्दकुंवर (पिता फतह सिंह जी) पत्नि रामप्रताप सिंह जी राजपुत, उम्र– वयस्क, निवासी– हिंता, तहसील कानोड़, जिला उदयपुर मोबाईल नम्बर–6377321735 **(नाम तर्क किया गया)**
3. श्री धीरेन्द्र सिंह पिता फतह सिंह जी राजपुत, उम्र–वयस्क, निवासी– बम्बोरा, तहसील कुराबड़, जिला उदयपुर
4. श्री भोपाल सिंह पिता फतह सिंह जी राजपुत, उम्र–वयस्क, निवासी– बम्बोरा, तहसील कुराबड़, जिला उदयपुर
5. श्रीमती मिठुकुंवर (पिता फतह सिंह जी) पत्नि रणवीर सिंह जी शक्तावत, उम्र वयस्क, निवासी सेती चौक के सामने, चित्तौड़गढ़, मोबाईल नम्बर 6375258485 **(नाम तर्क किया गया)**
6. श्रीमती विष्णुकुंवर (पिता फतह सिंह जी) पत्नि राम सिंह जी राणावत. उम्र वयस्क, निवासी नई कोर्ट के पीछे, आख्या कॉलोनी, चित्तौड़गढ़, मोबाईल नम्बर 9413972729 **(नाम तर्क किया गया)**
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, कुराबड, जिला उदयपुर

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

1. श्री दिनेश डांगी अधिवक्ता वादी

उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर

निर्णय

दिनांक : 03.02.2026

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी ने वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर अंकित किया कि मौजा बम्बोरा, तहसील कुराबड के आराजी नम्बर 3312/350, 357, 358, 361 कुल किता 4 रकबा 0.6490 हेक्टेयर, लगानी– 22.25 रुपया आराजीयात वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 से 6 के संयुक्त खातेदारी एवं आधिपत्य की है, जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी नम्बर 1 से 6 प्रत्येक का 1/12 – 1/12 हिस्सा होकर इसी हिस्से

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, जिला उदयपुर
प्रकरण संख्या 175/2022 वाद
अनवान कुबेर सिंह बनाम गैंदकुंवर
अन्तिम डिक्री, निर्णय 53, 188 RTA

22/377

...नुसार वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 से 6 काबिज चले आ रहे है। उक्त आराजीयात ...का वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 से 6 के मध्य अभी तक मिट्स एवं बाउण्ड्स से बटवाडा नहीं हुआ है, व वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 से 6 ने काश्त की सुविधा हेतु वर्षों पुर्व उक्त आराजी नम्बर 357, 358, 361 के दो भाग कर रखे है, जिसमें उत्तरी हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 1 से 6 के कब्जे में है व दक्षिणी हिस्सा वादी के कब्जे में चला आ रहा है, जिसके आराजी नम्बर 357 सम्पुर्ण व आराजी नम्बर 358 का कुछ हिस्सा शामिल है। वादी ने अपने कब्जे की भूमि में 50 वर्ष से गोबर गैस प्लांट लगा हुआ है तथा एक ट्युबवेल भी 35 वर्ष पूर्व खुदवाई है, जिससे फसलों की पिलाई करता है तथा पिलाई हेतु अपने कब्जे की भूमि में पाईप लाईन डाल रखी है। वादी अपने कब्जे की भूमि पर सिजारियों से काश्त करा रहा है। प्रतिवादी नम्बर 1 से 6 ने अपने कब्जे की भूमि में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं किया है। वादी अपने हिस्से की भूमि पर विकास करना चाहता है, लेकिन उक्त आराजीयात का मिट्स एण्ड बाउण्ड्स से बटवाडा नहीं होने से विकास कार्य नहीं कर पा रहा है। जिससे वादी ने प्रतिवादी नम्बर 1 से 6 को उक्त आराजीयात का हिस्से व कब्जे अनुसार मिट्स एण्ड बाउण्ड्स से बटवाडा करने हेतु कई बार कहां लेकिन प्रतिवादी नम्बर 1 से 6 कोई तवज्जा नहीं दे रहे है व बटवाडा कर खाता अलग–अलग भी नहीं कराना चाहते है तथा वादी के कब्जे में बिना किसी कारण हस्तक्षेप करते रहते है व नुकसान पहुंचाते रहते है व वादी के मना करने पर लडाई–झगडा करने पर आमादा होते है, ऐसी अवस्था में वादी, प्रतिवादी नम्बर 7 के जरिये बटवाडा कराने का अधिकारी है तथा प्रतिवादी नम्बर 1 से 6 के विरुद्ध विधिवत बटवाडा होने तक स्थाई निषेधाज्ञा करा पाबन्द कराने का अधिकारी है। वाद कारण तारीख 15.11.2022 को पैदा हुआ, जबकि वादी ने प्रतिवादी नम्बर 1 को आखिर बार उक्त आराजी के कब्जे व हिस्से अनुसार बटवाडा करा, खाता अलग–अलग कराने हेतु कराने हेतु कहां, फिर भी प्रतिवादी नम्बर 1 से 6 बटवाडा करा खाता अलग–अलग कराने को तैयार नहीं हुऐ व निरन्तर जारी है।

अतः प्रार्थना है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरुद्ध निम्न आशय की डिकी प्रदान कराई जावे कि वाद की कलम नम्बर 1 में अंकित आराजीयात का वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 से 6 के मध्य वाद की कलम नम्बर 2 में अंकित हिस्से के अनुसार व वाद की कलम नम्बर 3 में बताये कब्जे अनुसार बटवाडा कराया जाकर वादी के हिस्से में आने वाली भूमि वादी के नाम अलग से दर्ज कराई जावे तथा हिस्से अनुसार लगान का भी बरफाल कराया जावे। प्रतिवादी नम्बर 1 से 6 के विरुद्ध इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

022/377

प्रतिवादी नम्बर 1 से 6 वादी के हिस्से व कब्जे की भूमि में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करे तथा वादी को काश्त करने से नहीं रोके तथा फसलों को नुकसान नहीं पहुंचावे। वाद व्यय व वकिल मेहनताना प्रतिवादी नम्बर 1 से 6 से वादी को दिलाया जावे तथा हस्व धारा 209 राजस्थान टेनेन्सी एक्ट जो भी दाद मिल सकती हो दिलाई जावे।

प्रकरण में न्यायालय द्वारा दिनांक 13.04.2024 को वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रारंभिक डिक्री किया गया। तहसीलदार कुराबड़ द्वारा पत्रांक राजस्व/2025/480 दिनांक 21.04.2025 से रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिस पर वादी द्वारा आपत्ति किए जाने पर पुनः तहसीलदार कुराबड़ को मौका कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया गया कि पक्षकारों को जरिये सूचना पत्र सूचित कर पक्षकारों की उपस्थिति में मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाडा कर बंटवाडा रिपोर्ट प्रस्तुत करें। तहसीलदार कुराबड़ द्वारा पक्षकारों को सूचित कर पत्रांकः राजस्व ए/2025/480 दिनांक 21.04.2025 से बंटवाडा कर बंटवाडा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, प्रस्तुत बंटवाडा रिपोर्ट पर वादी द्वारा सहमति जाहिर करने एवं प्रतिवादीगण को प्रर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद किसी भी आपति नही की गई। जिससे यह प्रतीत होता है कि वादी एवं प्रतिवादीगण प्रस्तुत बंटवाड़ा रिपोर्ट पर सहमत है।

अतः उभयपक्ष बंटवाडा रिपोर्ट पर सहमत होने से तहसीलदार कुराबड़ द्वारा प्रस्तुत बंटवाडा रिपोर्ट अनुसार :-

1- कुबेरसिंह पिता रोडसिंह राजपुत सा. देह खातेदार

आ.स.	रकबा	किस्म	लगान
357	0.3000	कु प्रथम बी	10.43
358/1	0.0075	कु प्रथम बी	0.25
किता 2	रकबा 0.3075		लगान 10.68

2- धीरेन्द्रसिंह भोपालसिंह पिता फतहसिंह हि.ब. राजपुत रहन राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा बम्बोरा भोपालसिंह के हिस्से पर

आ.स.	रकबा	किस्म	लगान
358/2	0.3075	कु प्रथम बी	10.70
किता 1	रकबा 0.3075		लगान 10.70

3- कुबेरसिंह पिता रोडसिंह 1/2 धीरेन्द्रसिंह भोपालसिंह पिता फतहसिंह 1/2 राजपुत रहन राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा बम्बोरा भोपालसिंह के हिस्से पर

आ.स.	रकबा	किस्म	लगान
3312/350	0.0090	मगरी	0
361	0.0250	कु प्रथम बी	0.87
किता 2	रकबा 0.0340		लगान 0.87

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, जिला उदयपुर
प्रकरण संख्या 175/2022 वाद
अनवान कुबेर सिंह बनाम गेंदकुंवर
अन्तिम डिक्री. निर्णय 53, 188 RTA

2022/377

उक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक के मध्य मौजा राजस्व ग्राम बम्बोरा, तहसील कुराबड के आराजी नम्बर 3312/350, 357, 358, 361 कुल किता 4 रकबा 0.6490 हेक्टेयर, लगानी– 22.25 रुपया भूमि का बंटवाडा कर वादी का वाद फाईनल डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 3, 4 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाते है कि बंटवारा फहरिस्त की कलम संख्या 1 में वादी के कब्जेकाश्त में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करें उक्त कार्य न तो स्वंय करें न ही अपने नौकर, एजेन्ट परिवारजन आदि से करावे। तहसीलदार कुराबड़ तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। बंटवारा रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। फाईनल डिक्री जारी हो।

निर्णय सरेइजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो।

(ए. सांई कृष्ण)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा– उदयपुर

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

2022/377

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, जिला उदयपुर
प्रकरण संख्या 175/2022 वाद
अनवान कुबेर सिंह बनाम गेंदकुंवर
अन्तिम डिक्री. निर्णय 53, 188 RTA

डिक्री व मुकद्मे इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7 सि.प्र.सं.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा, उदयपुर मुकाम गिर्वा–उदयपुर पीठासीन अधिकारी अवुला सांई कृष्ण, आई.ए.एस. मुकद्मा 175/2022 सन 2022 सीगह वाद श्री कुबेर सिंह पिता रोड सिंह जी राजपुत, उम्र–85 वर्ष, निवासी– बम्बोरा, तहसील कुराबड़, जिला उदयपुर बनाम (1)श्रीमती गेन्दकुंवर पत्नि फतह सिंह जी राजपुत, उम्र– वयस्क, निवासी– बम्बोरा, तहसील कुराबड़, जिला उदयपुर **(नाम तर्क किया गया)** **(2)**श्रीमती गोविन्दकुंवर (पिता फतह सिंह जी) पत्नि रामप्रताप सिंह जी राजपुत, उम्र– वयस्क, निवासी– हिंता, तहसील कानोड़, जिला उदयपुर मोबाईल नम्बर–6377321735 **(नाम तर्क किया गया)** **(3)**श्री धीरेन्द्र सिंह पिता फतह सिंह जी राजपुत, उम्र–वयस्क, निवासी– बम्बोरा, तहसील कुराबड़, जिला उदयपुर (4)श्री भोपाल सिंह पिता फतह सिंह जी राजपुत, उम्र–वयस्क, निवासी– बम्बोरा, तहसील कुराबड़, जिला उदयपुर (5)श्रीमती मिदुकुंवर (पिता फतह सिंह जी) पत्नि रणवीर सिंह जी शक्तावत, उम्र वयस्क, निवासी सेती चौक के सामने, चित्तौड़गढ़, मोबाईल नम्बर 6375258485 **(नाम तर्क किया गया)** **(6)**श्रीमती विष्णुकुंवर (पिता फतह सिंह जी) पत्नि राम सिंह जी राणावत. उम्र वयस्क, निवासी नई कोर्ट के पीछे, आख्या कॉलोनी, चित्तौड़गढ़, मोबाईल नम्बर 9413972729 **(नाम तर्क किया गया)** **(7)**राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, कुराबड, जिला उदयपुर वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का

यह मुकद्मा आज वास्ते अन्तिम निपटारा किये जाने अवुला सांई कृष्ण, आई.ए.एस. के समक्ष प्रस्तुत हुआ। वादी अधिवक्ता श्री दिनेश डांगी की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि :–

1– कुबेरसिंह पिता रोडसिंह राजपुत सा. देह खातेदार

आ.स.	रकबा	किस्म	लगान
357	0.3000	कु प्रथम बी	10.43
358/1	0.0075	कु प्रथम बी	0.25
किता 2	रकबा 0.3075		लगान 10.68

2– धीरेन्द्रसिंह भोपालसिंह पिता फतहसिंह हि.ब. राजपुत रहन राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा बम्बोरा भोपालसिंह के हिस्से पर

आ.स.	रकबा	किस्म	लगान
358/2	0.3075	कु प्रथम बी	10.70
किता 1	रकबा 0.3075		लगान 10.70

3– कुबेरसिंह पिता रोडसिंह 1/2 धीरेन्द्रसिंह भोपालसिंह पिता फतहसिंह 1/2 राजपुत रहन राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा बम्बोरा भोपालसिंह के हिस्से पर

आ.स.	रकबा	किस्म	लगान
3312/350	0.0090	मगरी	0
361	0.0250	कु प्रथम बी	0.87
किता 2	रकबा 0.0340		लगान 0.87

उक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक के मध्य मौजा राजस्व ग्राम बम्बोरा, तहसील कुराबड के आराजी नम्बर 3312/350, 357, 358, 361 कुल किता 4 रकबा 0.6490 हेक्टेयर, लगानी– 22.25 रुपया भूमि का बंटवाडा कर वादी का वाद फाईनल डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 3, 4 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाते है कि बंटवारा फहरिस्त की कलम संख्या 1 में वादी के कब्जेकाश्त में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करें उक्त कार्य न तो स्वंय करें न ही अपने नौकर, एजेन्ट परिवारजन आदि से करावे। तहसीलदार कुराबड़ तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। बंटवारा रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा।

और इस वाद के खर्चे लेखे ....रुपये की राशि..............आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर ....प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित ....द्वारा ....को दी जाए।

यह आज तारीख .... माह .... सन् .... को मेरे से हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

हस्ताक्षर न्यायाधीश ....
पद ....

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर